चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
प्रबन्ध मण्डल की 149वीं बैठक का कार्यवृत्त।

दिनॉक : 31.01.2014
सभास्थल : कुलपति समिति कक्ष।
समय : अपरान्ह 12:30 बजे

उपस्थिति :–

1.	**प्रोफेसर मुन्ना सिंह,** कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल	अध्यक्ष
2.	**श्री सुरजन, संयुक्त सचिव** प्रमुख सचिव कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ।	सदस्य
3.	**श्री विपिन कुमार शुक्ला,** ग्राम–भीतरगांव, पोस्ट–खेडा कुर्सी, कानपुर देहात	सदस्य
4.	**श्री सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट',** 127/476, जूही बारा देवी, कानपुर।	सदस्य
5.	**श्री तेजपाल सिंह,** 32, बी, मयूर बिहार, मथुरा–281001	सदस्य
6.	**श्री संत बी0एस0 यादव,** 76–खत्रानां, शिकोहाबाद, जनपद–फिरोजाबाद।	सदस्य
7.	**श्री परिमल बाजपेयी,** 177/बी/16–आर0एस0 पुरम्, सर्वोदय नगर, कानपुर।	सदस्य
8.	**श्रीमती प्रतिभा राघव,** विनय नगर कालोनी, क्वासीं बिजली घर के सामने, रामघाट रोड, अलीगढ़–202001 (उ0प्र0)।	सदस्या
9.	**डा0 डी0एस0 यादव,** रामलीला ग्राउण्ड उझानी, जिला बदायूँ–243601	सदस्य
10.	**श्री विनय शाक्य,** ग्राम–मटौरा, पोस्ट–गूरा, तहसील–विधूना, जिला–औरैया–206243	सदस्य
11.	**डा0 पी0एन0 यादव,** अर्थ नियन्त्रक, सचिव प्रबन्ध मण्डल	सचिव

सर्वप्रथम कुलपति महोदय एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल द्वारा मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव, प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर प्रबन्ध मण्डल के मा0 सदस्यों द्वारा मदवार चर्चा की गयी। प्रस्तुत प्रस्तावों पर मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्राप्त निर्णयों का मदवार विवरण निम्नवत् है :

मद संख्या 1	:	**प्रबन्ध मण्डल की दिनॉक 04.04.2013 को सम्पन्न हुई 148वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा 148वीं बैठक दिनांक 04.04.2013 की कार्यवृत्त का पुष्टि कर दी गयी।
मद संख्या 2	:	**चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 148वीं बैठक दिनांक 04.04.2013 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही पर सन्तोष व्यक्त करते हुए निम्न निर्देश दिये गये :– 1. **मद संख्या कमांक 1–** कार्यवाही अपेक्षित नही है। 2. **मद संख्या कमांक 2 :–** **बिन्दु सं0 1–** माननीय सदस्य श्री विपिन कुमार शुक्ला द्वारा अपेक्षा की गयी कि विश्वविद्यालय एक्ट की धारा 28(r) 3(e) 1 के अनुसार कार्यवाही आवश्यक है एवं आगामी बैठक में अवगत कराया जाय। अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल ने स्पष्ट किया कि उक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। अतः उसे ही आदर किया जाय एवं इस प्रकरण पर कोई टिप्पणी और कार्यवाही अपेक्षित नही है। **बिन्दु सं0 2–** कार्यवाही अपेक्षित नही है। **बिन्दु सं0 3–** कार्यवाही अपेक्षित नही है। **बिन्दु सं0 4–** कार्यवाही अपेक्षित नही है। 3. **मद संख्या कमांक 3–** कार्यवाही अपेक्षित नही है। 4. **मद संख्या कमांक 4–** कार्यवाही अपेक्षित नही है। 5. **मद संख्या कमांक 5–** अनुपालन कर लिया गया। 6. **मद संख्या कमांक 6–** कार्यवाही अपेक्षित नही है। 7. **मद संख्या कमांक 7–** कार्यवाही अपेक्षित नही है। 8. **मद संख्या कमांक 8–** कार्यवाही अपेक्षित नही है। 9. **मद संख्या कमांक 9–** कार्यवाही सम्पन्न कर ली गई है। 10. **मद संख्या कमांक 10–** कार्यवाही सम्पन्न कर ली गई है। 11. **मद संख्या कमांक 11–** कार्यवाही सम्पन्न कर ली गई है। 12. **मद संख्या कमांक 12–** कार्यवाही अपेक्षित है। 13. **मद संख्या कमांक 13–** अनुपालन कर लिया गया। 14. **मद संख्या कमांक 14–** अनुपालन कर लिया गया। 15. **मद संख्या कमांक 15–** अनुपालन कर लिया गया। 16. **मद संख्या कमांक 16–** अनुपालन कर लिया गया।

17. **मद संख्या कमांक** 17– अनुपालन कर लिया गया।

18. **मद संख्या कमांक** 18– अनुपालन कर लिया गया।

19. **मद संख्या कमांक** 19– अनुपालन कर लिया गया।

20. **मद संख्या कमांक** 20– शासन को संदर्भित कर दिया गया।

21. **मद संख्या कमांक** 21– शासन को संदर्भित कर दिया गया।

22. **मद संख्या कमांक** 22– कृत कार्यवाही विसंगतियों के कारण वापस कर ली गयी।

23. **मद संख्या कमांक** 23– शासन को संदर्भित कर दिया गया।

24. **मद संख्या कमांक** 24– कार्यवाही की जा रही है।

अन्य निर्देशः–

1– बैठकों को निर्धारित समय से किया जायेगा।

2– व्यवस्था में सुधार जारी है।

अन्य सुझाव :–

1– सुधार जारी है।

2(1)– सुधार जारी है।

2(2)– कार्यवाही जारी है।

आकस्मिक बैठक दिनॉक 03.07.2013 :–

1– अनुपालन कर लिया गया।

2– कार्यवाही अपेक्षित नही है।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :–

1– कार्यवाही अपेक्षित नही है।

2– कार्यवाही अपेक्षित नही है।

3– कार्यवाही अपेक्षित नही है।

4– कार्यवाही अपेक्षित नही है।

5– कार्यवाही अपेक्षित नही है।

6– अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल ने स्पष्ट किया कि श्री टी0सी0 मिश्रा का प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निस्तारित किया जा चुका है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर किसी भी तरह की कार्यवाही विधिसंगत नही है।

7– कार्यवाही अपेक्षित नही है।

8– कार्यवाही अपेक्षित है।

आकस्मिक बैठक दिनॉक 11.07.2013 :–

1– कार्यवाही अपेक्षित नही है।

1– कार्यवाही अपेक्षित नही है।

कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदनोपरान्त **पत्रॉकःसीएसयूपी–778/बोर्ड/2013–14 दिनॉक 26.11.2013 द्वारा by circulation प्रस्तुत प्रस्ताव–** कार्यवाही अपेक्षित नही है।

मद संख्या 3	:	**दीक्षान्त समारोह में प्रदान किये जाने वाले स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदकों की कीमतों में वृद्धि पर विचार।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 4	:	**आगामी दीक्षान्त समारोह दिनांक 10.02.2014 में स्वर्ण, रजत, कॉस्य एवं बुक प्राइस प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की सूची के अनुमोदन पर विचार।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 5	:	**आयोजनेत्तर पक्ष/आयोजनागत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2013–14 का पुनरीक्षित अनुमान, वित्तीय वर्ष 2014–15 के प्रस्तावित अनुमानों, एवं चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में शासन एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले समस्त अनुदानों की स्वीकृति/व्यय के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया तथा निर्देशित किया गया कि भविष्य में बजट वित्त समिति के अनुमोदनोपरान्त प्रेषित किया जाय।
मद संख्या 6	:	**डा0 छोटे लाल मौर्या, सह–प्राध्यापक/एस0आर0ओ0, बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का चयन बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबौर, (भागलपुर) में कुलसचिव के पद पर हो जाने के फलस्वरूप 2 वर्ष का धारणाधिकार (Lien) दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 7	:	**महामहिम कुलाधिपति महोदय के आदेश संख्या–ई–8387/जी.एस. दिनांक 11.10.2013 द्वारा इस विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हो चुके डा0 आर0पी0 सिंह खोखर, प्राध्यापक के प्रकरण पर जॉच आख्या को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष उक्त निर्णय की प्रति के साथ निर्णयार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा अपेक्षा की गई कि समिति बनाकर समिति की आख्या से प्रबन्ध मण्डल को अवगत कराया जाय।
मद संख्या 8	:	**डा0 पी0के0 सिंह, जेनेटिसिस्ट, परियोजना समन्वयन इकाई (अलसी) कानपुर की नियुक्ति परियोजना समन्वयक (अलसी) के पद पर हो जाने के फलस्वरूप 2 वर्ष का धारणाधिकार (Lien) सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 9	:	**डा0 राम बटुक सिंह, कार्यक्रम समन्वयक जो अपर–निदेशक प्रसार पद के विरूद्ध कार्यरत हैं, ने अपने स्वयं के अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 21.02.2013 से दिनांक 28.08.2013 तक चिकित्सीय आधार पर उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 10	:	डा0 जितेन्द्र सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ (सस्य), के0वी0के0, दलीप नगर का उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, लखनऊ में परियोजना प्रबन्धक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाने के फलस्वरूप कार्यमुक्त किये जाने के दिनांक 22.03.2013 के अपरान्ह से दो वर्ष का धारणाधिकार (लियन) संरक्षित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 11	:	डा0देवेन्द्र बहादुर सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ (उद्यान), के0वी0के0, हरदोई का उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, लखनऊ में परियोजना प्रबन्धक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाने के फलस्वरूप कार्यमुक्त किये जाने के दिनांक 18.12.2013 अपरान्ह से दो वर्ष का धारणाधिकार (लियन) संरक्षित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 12	:	डा0संजय सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ (उद्यान), के0वी0के0, लखीमपुर खीरी का राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद में सचिव श्रेणी–2 के पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाने के फलस्वरूप कार्यमुक्त किये जाने के दिनांक 06.12.2013 के अपरान्ह से दो वर्ष का धारणाधिकार (लियन) संरक्षित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 13	:	डा0 योगेश यादव, विषय वस्तु विशेषज्ञ (पशुपालन), के0वी0के0, इटावा का उ0प्र0 भूमि सुधार निगम, लखनऊ में परियोजना प्रबन्धक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाने के फलस्वरूप कार्यमुक्त किये जाने के दिनांक 22.03.2013 (अपरान्ह) से दो वर्ष का धारणाधिकार (लियन) संरक्षित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 14	:	ई0 मो0अहमद हुसैन, सहायक प्राध्यापक (सिविल इन्जीनियरिंग), बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिक महाविद्यालय, इटावा का गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, पोनी, बिलासपुर में विश्वविद्यालय अभियन्ता के पद पर चयन हो जाने के फलस्वरूप कार्यमुक्त किये जाने के दिनांक 12.06.2013 के अपरान्ह से दो वर्ष का धारणाधिकार (लियन) संरक्षित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 15	:	डा0 कमल कान्त, विषय वस्तु विशेषज्ञ (कृषि अभियंत्रण), के0वी0के0, जालौन का उ0प्र0 कृषि सेवा समूह–''ख'' (अभियंत्रण शाखा) में उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी के पद पर चयन हो जाने के फलस्वरूप कार्यमुक्त किये जाने के दिनांक 13.08.2013 (अपरान्ह) से दो वर्ष का धारणाधिकार (लियन) संरक्षित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 16	:	**श्री विश्राम सिंह, सहायक प्राध्यापक, सस्य विज्ञान विभाग द्वारा पीएच–डी0 कोर्स पूरा करने हेतु दिनांक 01.01.2014 से 29.06.2014 तक (180 दिन) का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 17	:	**डा0 अमल सक्सेना, विषय वस्तु विशेषज्ञ (सस्य) का त्याग–पत्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 18	:	**प्रस्तुत करना है कि निम्न तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/वैज्ञानिकों/विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न संस्थाओं में पीएच–डी0 अध्ययन हेतु आवेदन पत्र प्रेषित किये गये थे तथा उन संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में चयन हो जाने के फलस्वरूप उनके अनुरोध पर विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय–21 की धारा–28 (आर) की उपधारा–6 (सी) में वर्णित प्राविधानानुसार कार्यमुक्त होने की तिथि से तीन वर्ष के अध्ययन अवकाश की स्वीकृति मा0 प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रदान किया गया था। उक्त के क्रम में सम्बन्धित शिक्षकों/वैज्ञानिकों/विषय वस्तु विशेषज्ञों को उनके नियन्त्रणाधिकारी द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया है।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 19	:	**डा0 ए0के0 सिंह, कार्यवाहक जोनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर जोन–IV, (आई.सी.ए.आर.) कानपुर का चयन जोनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर जोन–IV, कानपुर में पॉच वर्ष हेतु हो जाने के फलस्वरूप धारणाधिकार सुरक्षित रखे जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव विशेष परिस्थितियों में अनुमोदित किया गया है तथा निर्देशित किया गया कि भविष्य में इसे उदाहरणस्वरूप न समझा जाय परन्तु प्रमुख सचिव कृषि के प्रतिनिधि श्री सुरजन सिंह, संयुक्त सचिव ने सुझाव व्यक्त किया कि प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाय।
मद संख्या 20	:	**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा वित्तपोषित एवं स्वीकृत नवीनतम शोध परियोजना "Participatory vegetable quality seed production to enhance vegetable production in U.P." को विश्वविद्यालय में कियान्वयन हेतु प्रस्ताव। (संलग्नक 184–211)।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 21	:	**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा वित्तपोषित एवं स्वीकृत नवीनतम शोध परियोजना "Establishment of Potato Research Centre at Kalyanpur, Kanpur" को विश्वविद्यालय में कियान्वयन हेतु प्रस्ताव। (संलग्नक 184–211)।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 22	:	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा वित्तपोषित एवं स्वीकृत नवीनतम शोध परियोजना "Farmers Empowerment for high harvest of pulses in Central Plain Zone of U.P. through Participatory Approach" को विश्वविद्यालय में कियान्वयन हेतु प्रस्ताव। (संलग्नक 184–211)। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 23	:	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा वित्तपोषित एवं स्वीकृत नवीनतम शोध परियोजना "Summer groundnut production programme on farmers fields" को विश्वविद्यालय में कियान्वयन हेतु प्रस्ताव। (संलग्नक 184–211)। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 24	:	विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के उपार्जित/चिकित्सा/अर्धवेतन/अवैतनिक अवकाश की स्वीकृत हेतु प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 25	:	विश्वविद्यालय कैम्पस में महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने हेतु प्रशिक्षित होमगार्डस लगाये जाने के अनुमोदन का प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 26	:	विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों में कर्तव्यपरायणता, कार्य कुशलता एवं कर्तव्यनिष्ठा बनाये रखने हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय हित में प्रस्ताव अनुमोदित किया तथा यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय पर अधिक वित्तीय भार न पडे।
मद संख्या 27	:	श्री सचिन शुक्ला, कैटलागर, केन्द्रीय पुस्तकालय को दिनांक 01.01.2013 से 30.04.2013 तक (120 दिन) का उपार्जित अवकाश स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 28	:	श्री दीपक सिंह राजपूत, फील्ड मैन/लैब असिस्टेन्ट, एकिप सोयाबीन योजना, भरारी, झाँसी को दिनांक 02.04.2012 से 02.01.2013 तक (276 दिन) के अवकाश स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव नियमानुसार अनुमोदित किया गया।

–: पूरक प्रस्ताव :–

मद संख्या 29	:	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।**
पूरक 1	:	**मा0 प्रबन्ध मण्डल के सदस्य श्री बी0 एस0 यादव (सन्तजी) के पत्र दिनॉक 14.01.2014 के निर्देश के क्रम में श्री बृजेश कुमार, लैब टेक्नीशियन ग्रेड–प्रथम, कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा की प्रोन्नति उनकी शैक्षिक योग्यता के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अभियंत्रण विभाग में रिक्त पद सहायक अभियन्ता (सिविल) पर करने सम्बन्धी प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल ने प्रकरण संज्ञान में लिया। माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण स्थगित रखा जाय।
पूरक 2	:	**बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 का वास्तविक आय–व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुमानित आय–व्यय के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक 3	:	**श्री टी0पी0 दुबे, सहायक लेखाकार के प्रकरण के निस्तारण हेतु प्रस्ताव।** अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल ने मा0 प्रबन्ध मण्डल को अवगत कराया कि प्रकरण महामहिम कुलाधिपति एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निस्तारित किया जा चुका है। उक्त निर्णय पर किसी भी तरह की टिप्पणी और व्याख्या करना विधि संगत नही है।
पूरक 4	:	**महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा पारित आदेश सं0–ई–7042/जीएस दिनांक 04.09.2013 में प्रदत्त निर्देश के अनुपालन में डा0 विश्वजीत सिंह, डा0 अखिलेश मिश्र एवं डा0 नौशाद खान की सहायक प्राध्यापक संवर्ग में वरिष्ठता निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव।** कार्यवाही जारी है।
पूरक 5	:	**पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग में अनुपयोगी एवं आवश्यकता से अधिक पशुओं को किसानों या गौशाला को दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया साथ ही निर्देशित किया कि गौशाला एवं आश्रम आदि से प्राप्ति प्रमाण पत्र लेकर यथाशीघ्र अनुत्पादक पशुओं को दे दिया जाय तथा कुछ पशुओं की नीलामी किसान मेला में भी की जाय जिससे कि कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा मिल सके। विश्वविद्यालय डेयरी को मार्डन डेयरी का रूप दिया जाय और इस सम्बन्ध में नये प्रोजेक्ट बनाये जायें साथ ही विश्वविद्यालय के छात्रो को भी दूध उपलब्ध कराया जाय।

पूरक 6	:	**विश्वविद्यालय में आयकर के अनेक टेन नम्बर होने के कारण उत्पन्न समस्याओं पर विचार किये जाने हेतु प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक 7	:	**छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के सम्बन्ध में निर्गत यू0जी0सी0 रेगूलेशन में उल्लिखित शिक्षकों की नियुक्ति एवं कैरियर एडवान्समेंट स्कीम पर गठित समिति द्वारा प्राप्त आख्या के अनुमोदन विषयक प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक 8	:	छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के सम्बन्ध में निर्गत यू0जी0सी0 रेगूलेशन में उल्लिखित शिक्षकों की नियुक्ति एवं कैरियर एडवान्समेंट स्कीम पर गठित समिति द्वारा प्राप्त आख्या एवं शिक्षा, शोध एवं प्रसार कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु रिक्त पदों को भरने विषयक अनुमोदन प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं यथाशीघ्र प्रकिया प्रारम्भ करने के निर्देश दिये।
पूरक 9	:	**विश्वविद्यालय के कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार के कार्यों में गुणवत्ता के उन्नयन हेतु एडवान्स बायो–साइन्स कार्मिकों को भी योजित करने सम्बन्धी प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया यथाशीघ्र प्रकिया प्रारम्भ करने के निर्देश दिये ।
पूरक 10	:	**विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं विभिन्न केन्द्रों की अनुपयोगी सामग्री की नीलामी किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देशित किया कि समिति के माध्यम से अनुपयोगी सामग्रियों की सूची बनाकर विभागवार निष्प्रयोज्यता समिति बनाकर निष्प्रयोज्य घोषित कर मा0 प्रबन्ध मण्डल के संज्ञान में लाया जाय। तदनुसार मा0 प्रबन्ध मण्डल के सदस्य श्री संत बी0एस0 यादव की अध्यक्षता में नीलामी कार्यो को सम्पन्न किया जाय।
पूरक 11		**विश्वविद्यालय अपना कुलगीत तैयार करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।** माननीय प्रबन्ध मण्डल के समक्ष डा0 केशव प्रसाद द्वारा रचित विश्वविद्यालय गीत (कुलगीत) प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा

पूरक 1	**:**	**कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत जनपद इटावा में स्थापित मत्स्य महाविद्यालय एवं दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के संचालन हेतु आवश्यक पदों के सृजन, वेतन भत्ता/सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रस्ताव।** प्रबन्ध मण्डल ने इटावा में स्थापित मत्स्य एवं दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के संचालन सम्बन्धी आवश्यकता को संज्ञान में लेते हुये औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया।
पूरक 2	**:**	**दुग्ध अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय इटावा में उपयोग में लाये जाने हेतु फर्नीचर, फर्नीशिंग एवं उपकरणों आदि के क्रय स्वीकृत धनराशि रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।** प्रबन्ध मण्डल ने नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुमोदन प्रदान किया।
पूरक 3	**:**	**कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 का वास्तविक आय–व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुमानित आय–व्यय को स्वीकृत के सम्बन्ध में प्रस्ताव।** प्रबन्ध मण्डल ने स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के वित्तीय वर्ष 2013–14 का प्रस्तावित आय–व्यय बजट अनुमोदित/स्वीकृत किया।
पूरक 4	**:**	**जीर्ण–शीर्ण, पुराने भवनों व संरचनाओं के नीलामी के अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।** प्रबंध मण्डल ने सक्षम समिति के माध्यम से निष्प्रयोज्यता सुनिश्चित कर दुग्ध महाविद्यालय के प्रभावित गेट–अप को दृष्टिगत रखते हुये सम्पूर्ण भवनों एवं संरचानाओं का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग से करवाने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये।

पूरक 5	:	**आर्थिक संसाधन अर्जित करने हेतु लगभग 1400 मीटर लम्बी चारदीवारी निर्माण एवं उक्त चारदीवारी से सटाकर (Shop cum integral part of boundary) लगभग 650 मीटर की लम्बाई में लगभग 200 दुकानों के निर्माण की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव। (इटावा कैम्पस)** प्रबन्ध मण्डल ने ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय व निकटवर्ती निर्मित आवासीय कालोनियॉ होने के कारण अनाधिकृत आम रास्ता, अतिक्रमण तथा भविष्य की सम्भावित अनाधिकृत दुकानों के निर्माण को रोकने हेतु एवं राज्य सरकार के निर्देश (संस्थानों द्वारा स्वयं आर्थिक संसाधन जुटाने को दृष्टिगत रखते) के अनुपालन मे महाविद्यालय के अनुरक्षण, साफ–सफाई व सुरक्षा पर व्यय में आंशिक सहायता व विद्यार्थियों की सुरक्षा, अतिक्रमण रोकने, प्रक्षेत्र की सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रस्तावित लगभग 1400 मीटर लम्बी चारदीवारी में से आवश्यक लगभग 650 मीटर लम्बाई में से 200 दुकानों के निर्माण के प्रस्ताव कार्यदायी संस्था से शासन को भेजने हेतु निर्देश/अनुमोदन प्रदान किया।
पूरक 6	:	**माननीय विद्वत परिषद की 10.10.2011 को आयोजित 121वीं बैठक की संस्तुति/कार्यवृत्त के कम में कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा के अन्तर्गत Agricultural Engineering में Master of Technology and Doctor of Philosophy तथा Mechanical Engineering में M.Tech व Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering) पाठ्यक्रमों को संचालित करने हेतु परिनियमावली के अध्याय के सेक्शन 28(f) में प्राविधान हेतु अनुमोदन ।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिया कि यथाशीघ्र आगामी शैक्षणिक सत्र से यह व्यवस्था सुनिश्चित कर उक्त कैम्पस को विश्वविद्यालय स्तर का बनाया जाये जिससे उक्त कैम्पस के छात्रो को लाभ मिलेगा।
पूरक 7	:	**माननीय विद्वत परिषद की 10.10.2011 को आहूत 121वीं बैठक की संस्तुति/कार्यवृत्ति के कम में कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में Department of Basic Science and Humanities के सृजन तथा Department of Post Harvest Technology and Food Engineering में आंशिक संशोधन (Department of Post Harvest Processing and Food Engineering) हेतु परिनियमावली में प्राविधान हेतु अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।** उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि नये विभाग की गठन पर विद्वत परिषद, विश्वविद्यालय नियम/परिनियम को दृष्टिगत रखते हुये पुनः विचार कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

पूरक 8	:	**महाविद्यालय के रिक्त सृजित शैक्षणिक पदों की पुनर्संरचना (Restructuring) एवं उनके सापेक्ष नियुक्ति हेतु प्रस्ताव।** प्रबन्ध मण्डल ने बोर्ड आफ फेकल्टी आफ टेक्नोलॉजी इटावा की 22वीं बैठक व विद्वत परिषद के बैठक में लिये गये निर्णय का संज्ञान लिया, तदनुसार आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली चतुर्थ डीन्स कमेटी के अनुरूप सृजित रिक्त शैक्षणिक पदों को पुर्नसंरचित उपरान्त भरने का निर्देश/अनुमोदन प्रदान किया।
पूरक 9	:	**महाविद्यालय के रिक्त गैर शैक्षणिक पदों की पुनर्संरचना (Restructuring) एवं उनके सापेक्ष नियुक्ति हेतु प्रस्ताव।** प्रबन्ध मण्डल ने इटावा महाविद्यालय के रिक्त गैर शैक्षणिक पदों को संज्ञान में लिया तथा ठेके पर चल रही सुरक्षा व्यवस्था के Supervision के लिये रिक्त सिक्योरिटी इन्स्पेक्टर के पद को आवश्यक माना एवं अनुमोदन किया। इटावा परिसर में प्रशासनिक अधिकारी का कोई पद न होने के कारण पूर्व से सृजित रिक्त सुरक्षा अधिकारी पद को प्रशासनिक अधिकारी पद के रूप में पुर्नसंरचित करना तथा इसी प्रकार रिक्त लैब टेक्नीशियन ग्रेड–द्वितीय के तीन पदों को लैब टेक्नीशियन ग्रेड–द्वितीय (मैकेनिकल, कम्प्यूटर आपरेटर, रसायन विज्ञान) के रूप में भी पुर्नसंरचित करने पर प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की।
पूरक 10	:	**स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षकों एवं कर्मियों के वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में प्रस्ताव।** प्रबन्ध मण्डल ने इटावा परिसर के संविदा शिक्षकों एवं कर्मियों के नियत वेतन वृद्धि पर अनुमोदन प्रदान किया।

अन्त में बैठक मा0 अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद उपरान्त समाप्त हो गयी।

अनुमोदित
05/02/14

प्रोफेसर **मुन्ना सिंह**
कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल

{पी0एन0 यादव}
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल